Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

[illegible]	बनाम	[illegible]
[illegible]		[illegible]

किस्म मुकदमा [illegible] अधीन धारा 212 R.T.A. मु.नं. 41/2011

RCMS- 2011/00044

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
24/12/19	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 11.2.2020 को पेश हो।	
11.02.2020	वकुलाम उपर उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं ने निवेदन किया है कि इसमें जारी अन्तरिम दि० आदेश के पालना को ना-कैलाश कर प्रकरण निस्तारण करने पर सहमति प्रदान करते हुए उभय जारी अन्तरिम आदेश दिनांक 30.3.2011 को ना-कैलाश कर प्रकरण निस्तारण हेतु पत्रावली श्री दान कुमार बेरवाल के समक्ष लेकर पेश करें। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:33:34 IST
Reason: SelfAttested